मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर
Madhya Pradesh Medical Science University, Jabalpur

Phone: 0761-2670333, 2670338 (Aff.)
Fax: 0761-2670333
Website: mpmsu.edu.in
E-mail: mpmsuregistrar@gmail.com

Address:-
Madhya Pradesh Medical Science University,
NSCB Medical College Campus
Bhedaghat Road, Jabalpur, MP-482003

क्रमांक / म.प्र.आ.वि.वि. / संबद्धता / 2022–23 / 167 जबलपुर, दिनांक 06/01/ 2023

प्रति,

Principal,
Rani Dullaiya Smriti Ayurved PG College and Hospital,
Barkhedi Kala, Bhadbhada Road,
Bhopal Madhya Pradesh
E-mail- rdayurved@gmail.com

विषयः– आयुर्वेद पाठ्यक्रमों हेतु मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर से संबद्धता निरंतरता विषयक।

––000–

भारत सरकार, आयुष मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त अनुमति के आधार पर तदर्थ एवं कार्य–परिषद् की बैठक दिनांक 23/12/2022 में लिये गये निर्णय अनुसार आपके महाविद्यालय को निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में सत्र 2022–23 हेतु मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर द्वारा पूर्णतः अस्थाई एवं प्रावधिक रूप से सशर्त संबद्धता निरंतरता प्रदान की जाती हैः–

S. No.	Name of Course	Seats
01.	B.A.M.S. -	100
02.	M.D. Ayurved- (i). Ayurved Samhita Siddhant –	05
	(ii). Swasthavritta -	05
	(iii). Agad Tantra –	05
	(iv). Panchkarma –	05
	(v). Rasashastra & Bhaishajya Kalpana	05
	(vi). Kaumarbhratya –	05
	(viii). Shalya Tantra –	05

शर्तें :–

1. मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर में सत्र 2022–23 में सम्बद्धता निरंतरता हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र के साथ चाहे गये विभिन्न परिशिष्टों में से यदि किसी परिशिष्ट के अभिलेख/चाही गयी जानकारी महाविद्यालय द्वारा संलग्न कर प्रेषित नहीं की गई है तो ऐसे अभिलेख/चाही गई जानकारी संबद्धता पत्र जारी करने के दिनांक से अधिकतम 30 दिवस की अवधि में अनिवार्यतः जमा करायी जाये। अन्यथा स्थिति में संबद्धता निरस्त की जा सकेगी।
2. आगामी वर्ष 2023–23 की सम्बद्धता निरंतरता हेतु भारत सरकार, आयुष मंत्रालय, नई दिल्ली से अनुमति प्राप्त कर मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के निर्धारित संबद्धता आवेदन पत्र पर निर्धारित शुल्क सहित आवेदन करना होगा।
3. विश्वविद्यालय के परिनियम क्रमांक–26 एवं 28 तथा परीक्षा अध्यादेश के प्रावधानों का अनिवार्यतः पालन करना होगा। जिसकी प्रति विश्वविद्यालय वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है।
4. कॉलेज कोड 28, भारत सरकार, आयुष मंत्रालय, नई दिल्ली के मापदण्डों के अनुरूप प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति आवश्यक रूप से निरंतर करनी होगी।
5. महाविद्यालय में प्राचार्य/शिक्षकों की रिक्तियां होने पर तीन माह की अवधि में नियुक्ति करनी होगी अन्यथा महाविद्यालय को प्रदत्त की गई अस्थायी एवं प्रावधिक सम्बद्धता निरस्त की जा सकेगी।

6. शासी निकाय का गठन कर नियमित बैठकों का आयोजन किया जाये जिसमें विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हों। इन बैठकों का कार्यवाही विवरण विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
7. विषय से सम्बधित उपकरणों/पुस्तकों की व्यवस्था भारत सरकार, आयुष मंत्रालय, नई दिल्ली तथा विष्वविद्यालय के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप करना होगी।
8. महाविद्यालय के व्याख्यान कक्षों तथा परीक्षा हॉल में अनिवार्य रूप से सी.सी.टी.वी. कैमरे स्थापित किये जाये। विष्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा के लिए महाविद्यालय में उपलब्ध बैठक व्यवस्था के आधार पर परीक्षा केन्द्र बनाया जा सकेगा। महाविद्यालय द्वारा विष्वविद्यालय की परीक्षाओं के लिए परीक्षा केन्द्र उपलब्ध कराने से इंकार करने की स्थिति में महाविद्यालय की संबद्धता समाप्त की जा सकेगी।
9. महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिलेखों के आधार पर विष्वविद्यालय द्वारा यह संबद्धता प्रदान की जा रही है। अभिलेख असत्य पाये जाने पर संबद्धता निरस्त की जायेगी।
10. महाविद्यालय के षिक्षकों द्वारा विष्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाओं की उत्तर–पुस्तिकाओं का मूल्यांकन अनिवार्यतः किया जायेगा। विष्वविद्यालय की उत्तर–पुस्तिकाओं के मूल्यांकन को निर्धारित समयावधि में पूर्ण नहीं करने अथवा मूल्यांकन करने से इंकार करने की स्थिति में महाविद्यालय की संबद्धता/निरंतरता समाप्त की जा सकेगी।
11. भारत सरकार, आयुष मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित किये गये नियमों एवं मापदण्डों का पालन करना होगा।
12. महाविद्यालय का स्वयं का भवन होने संबंधी प्रमाण पत्र के साथ शासन से प्राप्त भवन संबंधी अनुमति पत्र संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा।
13. विष्वविद्यालय द्वारा अधिरोपित शर्तों की पूर्ति नहीं होने पर विष्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त की गई अस्थायी एवं प्रावधिक सम्बद्धता निरस्त की जा सकेगी।
14. संबद्धता हेतु आवेदन के साथ संलग्न अभिलेखों की पुष्टि एवं आवष्यक अर्हताओं की पूर्ति करने के संबंध में माननीय कुलपति महोदय द्वारा समिति गठित करके महाविद्यालय का निरीक्षण कर जांच की जा सकती है।
15. महाविद्यालय में भारत सरकार, आयुष मंत्रालय, नई दिल्ली के मापदण्डों के अनुसार नियुक्त किये गये प्राचार्य एवं षिक्षकों के नियुक्ति आदेष तथा कार्यभार ग्रहण करने संबंधी समस्त अभिलेख (संबंधित की फोटो सहित) विष्वविद्यालय में जमा कराये जाये।
16. भारत सरकार, आयुष मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा इस पत्र में उल्लेखित संबद्धता सत्र के लिए महाविद्यालय की मान्यता समाप्त करने की स्थिति में महाविद्यालय की संबंधित सत्र की संबद्धता स्वतः समाप्त मानी जायेगी।

(माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित)

कुलसचिव
मध्यप्रदेष आयुर्विज्ञान विष्वविद्यालय,
जबलपुर

पृ. क्रमांक/म.प्र.आ.वि.वि./संबद्धता /2022–23/167—A
जबलपुर, दिनांक 06/01/2023

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेष शासन आयुष विभाग मंत्रालय, भोपाल।
2. सचिव, भारत सरकार, आयुष मंत्रालय, नई दिल्ली
3. सचिव, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, नई दिल्ली।
4. संचालक, चिकित्सा षिक्षा मध्यप्रदेष, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
5. परीक्षा नियंत्रक/सहायक कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) शाखा, मध्यप्रदेष आयुर्विज्ञान विष्वविद्यालय, जबलपुर।
6. कार्यालय कुलपति/कुलसचिव, मध्यप्रदेष आयुर्विज्ञान विष्वविद्यालय, जबलपुर।

06/01/2023

उप–कुलसचिव (संबद्धता)
मध्यप्रदेष आयुर्विज्ञान विष्वविद्यालय,
जबलपुर

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर
Madhya Pradesh Medical Science University, Jabalpur

Phone: 0761-2670333, 2670338 (Aff.)
Fax: 0761-2670333
Website: mpmsu.edu.in
E-mail: mpmsuregistrar@gmail.com

Address:-
Madhya Pradesh Medical Science University,
NSCB Medical College Campus
Bhedaghat Road, Jabalpur, MP-482003

क्रमांक / म.प्र.आ.वि.वि. / संबद्धता / 2020–21 / 1228 जबलपुर, दिनांक 25/03/ 2022

प्रति,

Principal,
Rani Dullaiya Smriti Ayurved PG College and Hospital,
Barkhedi Kala, Bhadbhada Road,
Bhopal Madhya Pradesh
E-mail- rdayurved@gmail.com

विषयः– आयुर्वेद पाठ्यक्रमों हेतु मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर से संबद्धता / निरंतरता विषयक।

—000—

भारत सरकार, आयुष मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त अनुमति के आधार पर तदर्थ एवं कार्य–परिषद् की बैठक दिनांक 11/03/2022 में लिये गये निर्णय अनुसार आपके महाविद्यालय को निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में सत्र 2020–21 हेतु मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर द्वारा पूर्णतः अस्थाई एवं प्रावधिक रूप से सशर्त संबद्धता निरंतरता प्रदान की जाती हैः–

S. No.	Name of Course	Seats
01.	B.A.M.S. -	100
02.	M.D. Ayurved- (i). Ayurved Samhita Siddhant –	05
	(ii). Swasthavritta -	05
	(iii). Agad Tantra –	05
	(iv). Panchkarma –	05
	(v). Rasashastra & Bhaishajya Kalpana	05
	(vi). Kaumarbhratya –	05
	(viii). Shalya Tantra –	05

शर्ते :–

1. मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर में सत्र 2020–21 में सम्बद्धता निरंतरता हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र के साथ चाहे गये विभिन्न परिशिष्टों में से यदि किसी परिशिष्ट के अभिलेख / चाही गयी जानकारी महाविद्यालय द्वारा संलग्न कर प्रेषित नहीं की गई है तो ऐसे अभिलेख / चाही गई जानकारी सम्बद्धता पत्र जारी करने के दिनांक से अधिकतम 30 दिवस की अवधि में अनिवार्यतः जमा करायी जाये। अन्यथा स्थिति में सम्बद्धता निरस्त की जा सकेगी।
2. आगामी वर्ष 2021–22 की सम्बद्धता निरंतरता हेतु भारत सरकार, आयुष मंत्रालय, नई दिल्ली से अनुमति प्राप्त कर मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के निर्धारित सम्बद्धता आवेदन पत्र पर निर्धारित शुल्क सहित आवेदन करना होगा।
3. विश्वविद्यालय के परिनियम क्रमांक–26 एवं 28 तथा परीक्षा अध्यादेश के प्रावधानों का अनिवार्यतः पालन करना होगा। जिसकी प्रति विश्वविद्यालय वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है।
4. कॉलेज कोड 28, भारत सरकार, आयुष मंत्रालय, नई दिल्ली के मापदण्डों के अनुरूप प्राचार्य / शिक्षकों की नियुक्ति आवश्यक रूप से निरंतर करनी होगी।

5. महाविद्यालय में प्राचार्य/शिक्षकों की रिक्तियां होने पर तीन माह की अवधि में नियुक्ति करनी होगी अन्यथा महाविद्यालय को प्रदत्त की गई अस्थायी एवं प्रावधिक सम्बद्धता निरस्त की जा सकेगी।
6. शासी निकाय का गठन कर नियमित बैठकों का आयोजन किया जाये जिसमें विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हों। इन बैठकों का कार्यवाही विवरण विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
7. विषय से सम्बधित उपकरणों/पुस्तकों की व्यवस्था भारत सरकार, आयुष मंत्रालय, नई दिल्ली तथा विश्वविद्यालय के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप करना होगी।
8. महाविद्यालय के व्याख्यान कक्षों तथा परीक्षा हॉल में अनिवार्य रूप से सी.सी.टी.वी. कैमरे स्थापित किये जाये। विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा के लिए महाविद्यालय में उपलब्ध बैठक व्यवस्था के आधार पर परीक्षा केन्द्र बनाया जा सकेगा। महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के लिए परीक्षा केन्द्र उपलब्ध कराने से इंकार करने की स्थिति में महाविद्यालय की संबद्धता समाप्त की जा सकेगी।
9. महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिलेखों के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा यह संबद्धता प्रदान की जा रही है। अभिलेख असत्य पाये जाने पर संबद्धता निरस्त की जायेगी।
10. महाविद्यालय के शिक्षकों द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाओं की उत्तर–पुस्तिकाओं का मूल्यांकन अनिवार्यतः किया जायेगा। विश्वविद्यालय की उत्तर–पुस्तिकाओं के मूल्यांकन को निर्धारित समयावधि में पूर्ण नहीं करने अथवा मूल्यांकन करने से इंकार करने की स्थिति में महाविद्यालय की संबद्धता/निरंतरता समाप्त की जा सकेगी।
11. भारत सरकार, आयुष मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित किये गये नियमों एवं मापदण्डों का पालन करना होगा।
12. महाविद्यालय का स्वयं का भवन होने संबंधी प्रमाण पत्र के साथ शासन से प्राप्त भवन संबंधी अनुमति पत्र संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा।
13. विश्वविद्यालय द्वारा अधिरोपित शर्तों की पूर्ति नहीं होने पर विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त की गई अस्थायी एवं प्रावधिक सम्बद्धता निरस्त की जा सकेगी।
14. संबद्धता हेतु आवेदन के साथ संलग्न अभिलेखों की पुष्टि एवं आवश्यक अर्हताओं की पूर्ति करने के संबंध में माननीय कुलपति महोदय द्वारा समिति गठित करके महाविद्यालय का निरीक्षण कर जांच की जा सकती है।
15. महाविद्यालय में भारत सरकार, आयुष मंत्रालय, नई दिल्ली के मापदण्डों के अनुसार नियुक्त किये गये प्राचार्य एवं शिक्षकों के नियुक्ति आदेश तथा कार्यभार ग्रहण करने संबंधी समस्त अभिलेख (संबंधित की फोटो सहित) विश्वविद्यालय में जमा कराये जाये।
16. भारत सरकार, आयुष मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा इस पत्र में उल्लेखित संबद्धता सत्र के लिए महाविद्यालय की मान्यता समाप्त करने की स्थिति में महाविद्यालय की संबंधित सत्र की संबद्धता स्वतः समाप्त मानी जायेगी।

PBudhe
कुलसचिव
मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
जबलपुर

पृ. क्रमांक/म.प्र.आ.वि.वि./संबद्धता /2020–21/1328-A
जबलपुर, दिनांक 25/03/22

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन आयुष विभाग मंत्रालय, भोपाल।
2. सचिव, भारत सरकार, आयुष मंत्रालय, नई दिल्ली
3. सचिव, सेन्ट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, नई दिल्ली
4. संचालक, चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
5. परीक्षा नियंत्रक/सहायक कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) शाखा, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर।
6. कार्यालय कुलपति/कुलसचिव, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर।

PBudhe
कुलसचिव
मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
जबलपुर

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर
Madhya Pradesh Medical Science University, Jabalpur

Phone: 0761-2670333, 2670338 (Aff.)
Fax: 0761-2670333
Website: mpmsu.edu.in
E-mail: mpmsuregistrar@gmail.com

Address:-
Madhya Pradesh Medical Science University,
NSCB Medical College Campus
Bhodaghat Road, Jabalpur, MP-482003

क्रमांक / म.प्र.आ.वि.वि. / सम्बद्धता / 2019–20 / 3256 जबलपुर, दिनांक 31 / 12 / 2020

प्रति,

PRINCIPAL,
Rani Dullaiya Smriti Ayurved PG College & Hospital,
Bhopal M.P.

विषयः– आयुर्वेद पाठ्यक्रमों हेतु मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर से संबद्धता / निरंतरता विषयक।

—000—

मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल एवं भारत सरकार, आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त अनुमति के आधार पर तदर्थ कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 10 / 11 / 2020 में अनुमोदन उपरांत आपके महाविद्यालय को निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर द्वारा सत्र 2019–20 हेतु सशर्त अस्थाई एवं प्रावधिक संबद्धता / निरंतरता प्रदान की जाती है:–

S. No.	Name of Course	Seats
1	B.A.M.S. -	100
2	MD- (Ayurved)- (i). Samhita Siddhant-	05
	(ii). Rachana Sharir-	05
	(ii). Swasthavritta-	05
	(iv). Kaumarabhritya-	05
	(v). Agad Tantra-	05
	(vi). Panchkarma-	05
	(vii). Dravyaguna-	05
	(viii). Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-	05
	(ix). Shalya Tantra-	05

शर्तें :–

1. मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर में सत्र 2019–20 में सम्बद्धता / निरंतरता हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र के साथ चाहे गये विभिन्न परिशिष्टों में से यदि किसी परिशिष्ट के अभिलेख / चाही गयी जानकारी महाविद्यालय द्वारा संलग्न कर प्रेषित नहीं की गई है तो ऐसे अभिलेख / चाही गई जानकारी सम्बद्धता पत्र जारी करने के दिनांक से अधिकतम 30 दिवस की अवधि में अनिवार्यतः जमा करायी जाये। अन्यथा स्थिति में सम्बद्धता निरस्त की जा सकेगी।
2. आगामी वर्ष 2020–21 की सम्बद्धता / निरंतरता हेतु भारत सरकार, आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली से अनुमति प्राप्त कर मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के निर्धारित सम्बद्धता आवेदन पत्र पर निर्धारित शुल्क सहित आवेदन करना होगा।
3. विश्वविद्यालय के परिनियम क्रमांक–26 एवं 28 तथा परीक्षा अध्यादेश के प्रावधानों का अनिवार्यतः पालन करना होगा। जिसकी प्रति विश्वविद्यालय वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है।
4. कॉलेज कोड 28, सेन्ट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, नई दिल्ली तथा भारत सरकार, आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली के मापदण्डों के अनुरूप प्राचार्य / शिक्षकों की नियुक्ति आवश्यक रूप से निरंतर करनी होगी।

5. महाविद्यालय में प्राचार्य/शिक्षकों की रिक्तियां होने पर तीन माह की अवधि में नियुक्ति करनी होगी अन्यथा महाविद्यालय को प्रदत्त की गई अस्थायी एवं प्रावधिक सम्बद्धता/निरंतरता निरस्त की जा सकेगी।
6. शासी निकाय का गठन कर नियमित बैठकों का आयोजन किया जाये जिसमें विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हों। इन बैठकों का कार्यवाही विवरण विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
7. विषय से संबंधित उपकरणों/पुस्तकों की व्यवस्था सेन्ट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, नई दिल्ली तथा भारत सरकार, आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली तथा विश्वविद्यालय के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप करना होगी।
8 महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिलेखों के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा यह संबद्धता प्रदान की जा रही है। अभिलेख असत्य पाये जाने पर संबद्धता निरस्त की जायेगी।
9 महाविद्यालय के शिक्षकों द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाओं की उत्तर–पुस्तिकाओं का मूल्यांकन अनिवार्यतः किया जायेगा। विश्वविद्यालय की उत्तर–पुस्तिकाओं के मूल्यांकन को निर्धारित समयावधि में पूर्ण नहीं करने अथवा मूल्यांकन करने से इंकार करने की स्थिति में महाविद्यालय की संबद्धता/निरंतरता समाप्त की जा सकेगी।
10 महाविद्यालय के व्याख्यान कक्षों तथा परीक्षा हॉल में अनिवार्य रूप से सी.सी.टी.वी. कैमरे स्थापित किये जाये। विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा के लिए महाविद्यालय में उपलब्ध बैठक व्यवस्था के आधार पर परीक्षा केन्द्र बनाया जा सकेगा। महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के लिए परीक्षा केन्द्र उपलब्ध कराने से इंकार करने की स्थिति में महाविद्यालय की संबद्धता/निरंतरता समाप्त की जा सकेगी।
11. सेन्ट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, नई दिल्ली तथा भारत सरकार, आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली तथा मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित किये गये नियमों एवं मापदण्डों का पालन करना होगा।
12. महाविद्यालय का स्वयं का भवन होने संबंधी प्रमाण पत्र के साथ शासन से प्राप्त भवन संबंधी अनुमति पत्र संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा।
13. विश्वविद्यालय द्वारा अधिरोपित शर्तों की पूर्ति नहीं होने पर विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त की गई अस्थायी एवं प्रावधिक सम्बद्धता/निरंतरता निरस्त की जा सकेगी।
14. महाविद्यालय में सेन्ट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, नई दिल्ली तथा भारत सरकार, आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली के मापदण्डों के अनुसार नियुक्त किये गये प्राचार्य एवं शिक्षकों के नियुक्ति आदेश तथा कार्यभार ग्रहण करने संबंधी समस्त अभिलेख (संबंधित की फोटो सहित) विश्वविद्यालय में जमा कराये जाये।
15. आयुष विभाग भारत सरकार/सेन्ट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, नई दिल्ली द्वारा इस पत्र में उल्लेखित संबद्धता सत्र के लिए महाविद्यालय की मान्यता समाप्त करने की स्थिति में महाविद्यालय की संबंधित सत्र की संबद्धता स्वतः समाप्त मानी जायेगी।

(माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित)

(हस्ताक्षर)
कुलसचिव
मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
जबलपुर

पृ. क्रमांक/म.प्र.आ.वि.वि./सम्बद्धता/2019–20/3256-A
जबलपुर, दिनांक 31/12/2020

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ
1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन आयुष विभाग मंत्रालय, भोपाल।
2. सचिव, भारत सरकार, आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली
3. सचिव, सेन्ट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, नई दिल्ली
4. संचालक, चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
5. परीक्षा नियंत्रक/सहायक कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) शाखा, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर।
6. कार्यालय कुलपति/कुलसचिव, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर।

(हस्ताक्षर)
उप–कुलसचिव (संबद्धता)
मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
जबलपुर

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर
Madhya Pradesh Medical Science University, Jabalpur

Phone: 0761-2670333, 2670338 (Aff.)
Fax: 0761-2670333
Website: mpmsu.edu.in
E-mail: mpmsuregistrar@gmail.com

Address:-
Madhya Pradesh Medical Science University,
NSCB Medical College Campus
Bhedaghat Road, Jabalpur, MP-482003

क्रमांक / म.प्र.आ.वि.वि. / सम्बद्धता / 2018–19 / 4037 जबलपुर, दिनांक 07/12/2019

प्रति,

प्राचार्य,
Rani Dulliaiya Smriti Homoeopathic Medical College & Hospital,
Bhopal M.P.

विषयः– बी.एच.एम.एस. पाठ्यक्रम हेतु मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर से संबद्धता / निरंतरता विषयक।

—000—

मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल एवं भारत सरकार, आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त अनुमति के आधार पर तदर्थ विद्या परिषद की बैठक दिनांक 27/11/2019 में की गई अनुशंसा तथा कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 27/11/2019 में अनुमोदन उपरांत आपके महाविद्यालय को निम्नलिखित पाठ्यक्रम में मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर द्वारा सत्र 2018–19 के लिए सशर्त अस्थाई एवं प्रावधिक संबद्धता / निरंतरता प्रदान की जाती है:–

S. No.	Name of Course	Seats
1	B.H.M.S.	100

शर्तें :–

1. मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर में सत्र 2018–19 में संबद्धता / निरंतरता हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र के साथ चाहे गये विभिन्न परिशिष्टों में से यदि किसी परिशिष्ट के अभिलेख / चाही गयी जानकारी महाविद्यालय द्वारा संलग्न कर प्रेषित नहीं की गई है तो ऐसे अभिलेख / चाही गई जानकारी संबद्धता पत्र जारी करने के दिनांक से अधिकतम 30 दिवस की अवधि में अनिवार्यतः जमा करायी जाये। अन्यथा स्थिति में संबद्धता निरस्त की जा सकेगी।
2. आगामी वर्ष 2019–20 की सम्बद्धता / निरंतरता हेतु भारत सरकार, आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली से अनुमति प्राप्त कर मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के निर्धारित संबद्धता आवेदन पत्र पर निर्धारित शुल्क सहित आवेदन करना होगा।
3. विश्वविद्यालय के परिनियम क्रमांक–26 एवं 28 तथा परीक्षा अध्यादेश के प्रावधानों का अनिवार्यतः पालन करना होगा। जिसकी प्रति विश्वविद्यालय वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है।
4. कॉलेज कोड 28, सेन्ट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, नई दिल्ली तथा भारत सरकार, आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली के मापदण्डों के अनुरूप प्राचार्य / शिक्षकों की नियुक्ति आवश्यक रूप से निरंतर करनी होगी।

5. महाविद्यालय के व्याख्यान कक्षों तथा परीक्षा हॉल में अनिवार्य रूप से सी.सी.टी.वी. कैमरे स्थापित किये जाये। विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा के लिए महाविद्यालय में उपलब्ध बैठक व्यवस्था के आधार पर परीक्षा केन्द्र बनाया जा सकेगा। महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के लिए परीक्षा केन्द्र उपलब्ध कराने से इंकार करने की स्थिति में महाविद्यालय की संबद्धता समाप्त की जा सकेगी।

6. महाविद्यालय में प्राचार्य/शिक्षकों की रिक्तियां होने पर तीन माह की अवधि में नियुक्ति करनी होगी अन्यथा महाविद्यालय को प्रदत्त की गई अस्थायी एवं प्रावधिक संबद्धता निरस्त की जा सकेगी।

7. शासी निकाय का गठन कर नियमित बैठकों का आयोजन किया जाये जिसमें विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि भी सम्मलित हों। इन बैठकों का कार्यवाही विवरण विश्वविद्यालय को भेजना होगा।

8. महाविद्यालय के शिक्षकों द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाओं की उत्तर–पुस्तिकाओं का मूल्यांकन अनिवार्यतः किया जायेगा। विश्वविद्यालय की उत्तर–पुस्तिकाओं के मूल्यांकन को निर्धारित समयावधि में पूर्ण नहीं करने अथवा मूल्यांकन करने से इंकार करने की स्थिति में महाविद्यालय की संबद्धता/निरंतरता समाप्त की जा सकेगी।

9. विषय से सम्बधित उपकरणों/पुस्तकों की व्यवस्था सेन्ट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, नई दिल्ली तथा भारत सरकार, आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली तथा विश्वविद्यालय के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप करना होगी।

10. सेन्ट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, नई दिल्ली तथा भारत सरकार, आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली तथा मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित किये गये नियमों एवं मापदण्डों का पालन करना होगा।

11. महाविद्यालय का स्वयं का भवन होने संबंधी प्रमाण पत्र के साथ शासन से प्राप्त भवन संबंधी अनुमति पत्र संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा।

12. विश्वविद्यालय द्वारा अधिरोपित शर्तों की पूर्ति नहीं होने पर विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त की गई अस्थायी एवं प्रावधिक सम्बद्धता निरस्त की जा सकेगी।

13. महाविद्यालय में सेन्ट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, नई दिल्ली तथा भारत सरकार, आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली के मापदण्डों के अनुसार नियुक्त किये गये प्राचार्य एवं शिक्षकों के नियुक्ति आदेश तथा कार्यभार ग्रहण करने संबंधी समस्त अभिलेख (संबंधित की फोटो सहित) विश्वविद्यालय में जमा कराये जाये।

14. सेन्ट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, नई दिल्ली द्वारा इस पत्र में उल्लेखित संबद्धता सत्र के लिए महाविद्यालय की मान्यता समाप्त करने की स्थिति में महाविद्यालय की संबंधित सत्र की संबद्धता स्वतः समाप्त मानी जायेगी।

<u>(माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित)</u>

डॉ. संजय तोतड़े
कुलसचिव
मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर

पृ. क्रमांक/म.प्र.आ.वि.वि./सम्बद्धता /2018–19/4037-A

जबलपुर, दिनांक 07/12/2019

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन आयुष विभाग मंत्रालय, भोपाल।
2. सचिव, भारत सरकार, आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली।
3. सचिव, सेन्ट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, नई दिल्ली।
4. संचालक, आयुष मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
5. परीक्षा नियंत्रक/सहायक कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) शाखा, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर।
6. कार्यालय कुलपति/कुलसचिव, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर।

उप–कुलसचिव (संबद्धता)
मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
जबलपुर

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर
Madhya Pradesh Medical Science University, Jabalpur

Phone: 0761-2670333, 2670338 (Aff.)
Fax: 0761-2670333
Website: mpmsu.edu.in
E-mail: mpmsuregistrar@gmail.com

Address:
Madhya Pradesh Medical Science University,
NSCB Medical College Campus
Bhedaghat Road, Jabalpur, MP-482003

क्रमांक / म.प्र.आ.वि.वि. / संम्बद्धता / 2017–18 / 490 जबलपुर, दिनांक 13/03/2018

प्रति,

प्राचार्य,
रानी दुल्लैया स्मृति होम्योपेथी मेड़िकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल,
बरखेड़ी कला, भदभदा रोड, भोपाल म.प्र. 462044.

विषयः– बी.एच.एम.एस. – नवीन पाठ्यक्रम सत्र 2017–18 हेतु मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर, द्वारा पूर्णतः हेतु अस्थायी एवं प्रावधिक रूप से सशर्त संबद्धता प्रदान करने विषयक।

—000—

मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल एवं भारत सरकार, आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त अनुमति के आधार पर तदर्थ विद्या परिषद की बैठक दिनांक 16/02/2018 में की गई अनुशंसा तथा कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 16/02/2018 में अनुमोदन उपरांत आपके महाविद्यालय को निम्नलिखित पाठ्यक्रम में सत्र 2017–18 हेतु मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर द्वारा पूर्णतः अस्थायी एवं प्रावधिक रूप से सशर्त संबद्धता प्रदान की जाती हैः–

S. No.	Name of Course	Seats
1	B.H.M.S.-1st Year	100

शर्ते :-

1. मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर में सत्र 2017–18 में सम्बद्धता हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र के साथ चाहे गये विभिन्न परिशिष्टों में से यदि किसी परिशिष्ट के अभिलेख / चाही गयी जानकारी महाविद्यालय द्वारा संलग्न कर प्रेषित नहीं की गई है तो ऐसे अभिलेख / चांही गई जानकारी सम्बद्धता पत्र जारी करने के दिनांक से अधिकतम 30 दिवस की अवधि में अनिवार्यतः जमा करायी जाये। अन्यथा स्थिति में संम्बद्धता निरस्त की जा सकेगी।
2. आगामी वर्ष 2018–19 की सम्बद्धता / निरंतरता हेतु भारत सरकार, आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली से अनुमति प्राप्त कर मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के निर्धारित सम्बद्धता आवेदन पत्र पर निर्धारित शुल्क सहित आवेदन करना होगा।
3. विष्वविद्यालय के परिनियम क्रमांक–26 एवं 28 तथा परीक्षा अध्यादेश के प्रावधानों का अनिवार्यतः पालन करना होगा। जिसकी प्रति विश्वविद्यालय वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है।

(7)

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर

Madhya Pradesh Medical Science University, Jabalpur

Phone: 0761-2670333, 2670338 (Aff.)
Fax: 0761-2670333
Website: mpmsu.edu.in
E-mail: mpmsuregistrar@gmail.com

Address:
Madhya Pradesh Medical Science University,
NSCB Medical College Campus
Bhedaghat Road, Jabalpur, MP-482003

क्रमांक / म.प्र.आ.वि.वि. / सम्बद्धता / 2016 / 744 — जबलपुर, दिनाक 10/05/2016

प्रति,

प्राचार्य,
रानी दुल्लैया स्मृति आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय
बरखेड़ी कलां, भदभदा रोड, भोपाल म.प्र.

विषयः— एम.डी. (आयुर्वेद)— प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम हेतु पूर्व के विश्वविद्यालय द्वारा जारी सम्बद्धता का मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर में यथास्थिति में सत्र 2015—16 हेतु अस्थायी एवं प्रावधिक रूप से संबद्धता का सशर्त अन्तरण करने विषयक।

—000—

मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल एवं भारत सरकार, आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त अनुमति के आधार पर तदर्थ विद्या परिषद की बैठक दिनांक 30 / 03 / 2016 में की गई अनुशंसा तथा कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 30 / 03 / 2016 में अनुमोदन उपरांत आपके महाविद्यालय को निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में पूर्व के विश्वविद्यालय द्वारा जारी सम्बद्धता का मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर द्वारा यथास्थिति में सत्र 2015—16 हेतु पूर्णतः अस्थायी एवं प्रावधिक रूप से सशर्त अन्तरण किया जाता है:—

S.No.	Subject	Seat
1-	M.D. (AYURVED)-	(1). Kaumarbhritta - 05
		(2). Panchkarma - 05
		(3). Shalya Tantra - 05
		(4). Maulik Siddhant -05
		(5). Agadtantra - 05
		(6). Swasthvritta - 05
		(7). Rachna Sharir - 05
		(8). Dravyaguna - 05
		(9). Rasshastra - 05

शर्तें :—

1. मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर में सत्र 2015—16 में सम्बद्धता हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र के साथ चाहे गये विभिन्न परिशिष्टों में से यदि किसी परिशिष्ट के अभिलेख / चाही गयी जानकारी महाविद्यालय द्वारा संलग्न कर प्रेषित नहीं की गई है तो ऐसे अभिलेख / चाही गई जानकारी सम्बद्धता पत्र जारी करने के दिनांक से अधिकतम 30 दिवस की अवधि में अनिवार्यतः जमा करायी जाये। अन्यथा स्थिति में सम्बद्धता निरस्त की जा सकेगी।

प्राचार्य
रानी दुल्लैया स्मृति आयुर्वेद पी.जी. महाविद्यालय
एवं चिकित्सालय
बरखेड़ी कलाँ, भदभदा रोड भोपाल म.प्र.

(8)

2. आगामी वर्ष 2016–17 की सम्बद्धता/निरंतरता हेतु भारत सरकार, आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली से अनुमति प्राप्त कर मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के निर्धारित सम्बद्धता आवेदन पत्र पर निर्धारित शुल्क सहित आवेदन करना होगा।
3. विश्वविद्यालय के परिनियम क्रमांक–26 एवं 28 तथा परीक्षा अध्यादेश के प्रावधानों का अनिवार्यतः पालन करना होगा। जिसकी प्रति विश्वविद्यालय वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है।
4. कॉलेज कोड 28, सेन्ट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, नई दिल्ली तथा भारत सरकार, आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली के मापदण्डों के अनुरूप प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति आवश्यक रूप से निरंतर करनी होगी।
5. महाविद्यालय में प्राचार्य/शिक्षकों की रिक्तियां होने पर तीन माह की अवधि में नियुक्ति करनी होगी अन्यथा महाविद्यालय को प्रदत्त की गई अस्थायी एवं प्रावधिक सम्बद्धता निरस्त की जा सकेगी।
6. शासी निकाय का गठन कर नियमित बैठकों का आयोजन किया जाये जिसमें विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि भी सम्मलित हों। इन बैठकों का कार्यवाही विवरण विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
7. विषय से सम्बंधित उपकरणों/पुस्तकों की व्यवस्था सेन्ट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, नई दिल्ली तथा भारत सरकार, आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली तथा विश्वविद्यालय के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप करना होगी।
8. सेन्ट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, नई दिल्ली तथा भारत सरकार, आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली तथा मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित किये गये नियमों एवं मापदण्डों का पालन करना होगा।
9. महाविद्यालय का स्वयं का भवन होने संबंधी प्रमाण पत्र के साथ शासन से प्राप्त भवन संबंधी अनुमति पत्र संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा।
10. विश्वविद्यालय द्वारा अधिरोपित शर्तों की पूर्ति नहीं होने पर विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त की गई अस्थायी एवं प्रावधिक सम्बद्धता निरस्त की जा सकेगी।
11. महाविद्यालय में सेन्ट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, नई दिल्ली तथा भारत सरकार, आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली के मापदण्डों के अनुसार नियुक्त किये गये प्राचार्य एवं शिक्षकों के नियुक्ति आदेश तथा कार्यभार ग्रहण करने संबंधी समस्त अभिलेख (संबंधित की फोटो सहित) विश्वविद्यालय में जमा कराये जायें।

कुलसचिव
मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
जबलपुर

पृ. क्रमांक/म.प्र.आ.वि.वि./सम्बद्धता /2016/744 A
जबलपुर, दिनांक 12/05/2016

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय, भोपाल।
2. सचिव, भारत सरकार, आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली
3. सचिव, सेन्ट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, नई दिल्ली
4. संचालक, चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
5. परीक्षा नियंत्रक/सहायक कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) शाखा, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर।
6. कार्यालय कुलपति/कुलसचिव, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर।

उप-कुलसचिव (संबद्धता)
मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
जबलपुर

प्राचार्य
पं. खुशीलाल शर्मा स्मृति आयुर्वेद पी.जी. महाविद्यालय
एवं चिकित्सालय
कलखेड़ी कलाँ, भदभदा रोड भोपाल म. प्र.

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक 2541 /अकादमी/संबंद्धता/2014 भोपाल, दिनांक 27.11.14

प्रति,

प्राचार्य,
आर.डी.मेमोरियल आयुर्वेद महाविद्यालय
बरखेडी कला, भदभदा रोड, भोपाल

SPEED-POST

विषयः- बी.ए.एम.एस. पाठ्यक्रम पूर्व से निर्धारित 50 छात्र संख्या में 10 सीटो की वृद्धि कुल सीट संख्या 60 सत्र 2014-15 में अस्थाई संबद्धता प्रदान करने विषयक ।

महोदय,

सी.सी.आई.एम. नई दिल्ली द्वारा जारी अनुमति पत्र क्रमांक 13011/26/2013-इ.पी.(आई.एम.-1) दिनांक 12.05.2014 द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 13.10.2014 में लिए गए निर्णय तथा कुलपति जी को प्रदत्त शक्ति 15(4) के अन्तर्गत अनुमोदन एवं कार्यपरिषद की आगामी बैठक में अनुमोदन की प्रत्याशा में आपके महाविद्यालय को पूर्व से निर्धारित 50 छात्र संख्या में 10 सीटो की वृद्धि कुल सीट संख्या 60 सत्र 2014-15 में अस्थाई संबद्धता इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि आप यथा शीघ्र म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग की अनुमति विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करें।

1 बी.ए.एम.एस. पाठ्यक्रम 50 से 60 छात्र संख्यां

शर्तें:-

1 आपको आगामी सत्र 2015-16 हेतु सी.सी.आई एम. नई दिल्ली, म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग की अनुमति के साथ, संबद्धता आवेदन फार्म पर निर्धारित संबद्धता शुल्क के साथ आवेदन करना होगा।
2. आपको सी.सी.आई.एम. नई दिल्ली, के नियमों एवं प्रावधानों का पालन करना होगा।
3. आपको कालेज कोड 28, सी.सी.आई.एम. नई दिल्ली, के माप दण्डो के अनुरूप प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति आवश्यक रूप से निरंतर करनी होगी।
4. यदि आपके महाविद्यालय में प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति नही है तो आपको तीन माह के अंदर शिक्षकों/प्राचार्य की नियुक्ति पूर्ण करनी होगी अन्यथा आपके महाविद्यालय को प्रदत्त यह अस्थाई संबंद्धता/निरंतरता निरस्त कर दी जाएगी।
5. आपको शासी निकाय का गठन कर नियमित बैठकों का आयोजन जिसमें विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हो कर विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
6. आपको विषय से संबंधित उपकरणों/पुस्तकों की व्यवस्था सी.सी.आई.एम. नई दिल्ली, तथा विश्वविद्यालय के अनुरूप करना होगी।
7. आपको सी.सी.आई.एम. नई दिल्ली, द्वारा निर्धारित नियमों एवं मापदण्डों को पालन करना होगा।
8. महाविद्यालय का स्वयं का भवन होने संबंधी प्रमाण पत्र के साथ शासन से प्राप्त भवन संबंधी अनुमति पत्र संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा।

उपरोक्त शर्ते पूर्ण न होने पर संबंद्धता निरस्त की जा सकेगी।

उप-कुलसचिव (अकादमी)
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल
भोपाल,दिनांक 27.11.14

पृ0 क्रमांक 2542 /अका./सम्बद्धता/14

प्रतिलिपि :-

1- सी.सी.आई.एम. नई दिल्ली 110002
2-सचिव, म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग, भोपाल
3-अधिष्ठाता महाविद्यालयीन विकास परिषद, बी.यू. भोपाल
3-उप-कुलसचिव(परीक्षा/गोपनीय) शाखा, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय,भोपाल ।
4-कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक,संचालक,शारी.शिक्षा,अधि.छा.क.,समन्वयकरा.से.यो.,बरकतउल्ला वि. वि.भोपाल

उप-कुलसचिव(अकादमी)

Rakesh Sen-2